ायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

त्र संख्या :—234 / 2023

CMS NO:- 2023/373

दायर दिनांक: 01.09.2023

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

राजकुमारी राणावत पुत्री विजेन्द्र सिंह पत्नी भंवरसिंह राणावत जाति राजपूत नि0 जजावर हाल नि0 वार्ड नम्बर 29 बहादूर सिंह सर्किल बून्दी।

—प्रार्थीया

बनाम

1. भू—स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थितिः—

प्रार्थीया की ओर से वकील श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 12.05.2025

—निर्णय—

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जजावर पटवार हल्का जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 मे प्रार्थीया के संयुक्त की खातेदारी व आधिपत्य की जमाबंदी खाता संख्या 659 की भूमि खसरा संख्या 1147 रकबा 1.8769 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1148 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 660 की भूमि खसरा नम्बर 2743 रकबा 0.0485 हैक्टयर भूमि, खाता संख्या 661 के कुल खसरे 24 कुल रकबा 12.7259 स्थित है। उक्त तीनों जमाबंदीयों मे स्थित भूमि मे प्रार्थीया अपने हिस्सा अनुसार भूमियों पर खातेदारी की हैसियत से काबिज काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे राजकंवर अंकित है एवं प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों मे राजकुमारी राणावत दर्ज है जिससे प्रार्थीया को केसीसी रहन एवं अन्य कार्य हेतु भारी परेशानी हो रही है। यह कि प्रार्थीया को बचपन मे राजकंवर के नाम से भी जाना जाता था। प्रार्थीया का नाम राजकंवर ही है लेकिन दिनांक 11.8.2023 को नकल निकलवाने पर गलत नाम दर्ज होना पाया गया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है अतः प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2 व 3 मे वर्णित अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार व हिस्से की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित गलत नाम राजकंवर पुत्री विजेन्द्र सिंह के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम राजकुमारी पुत्री विजेन्द्र सिंह दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां ने पत्रांक/भु0अ0/25/1975 दिनांक 6.5.2025 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर बताया कि पटवारी हल्का जजावर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जजावर के नामान्तरकरण संख्या 1564 द्वारा खाता संख्या 477 किता 24 रकबा 78.13 बीघा, खाता संख्या 475 किता 2 रकबा 12.04 बीघा, खाता संख्या 476 किता 1 रकबा 0—06 बीघा मे विजेन्द्रसिंह वल्द अखयराजसिंह कौम राजपूत के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह, दिलीप सिंह, सुशीलाकंवर, राजकंवर पि. विजेन्द्रसिंह, हरिराज कंवर बेवा विजेन्द्रसिंह कौम राजपूत दर्ज हुआ। मुताबिक दस्तावेज आधार कार्ड राजकुमारी राणावत पत्नी भंवरसिंह राणावत, पहचान पत्र राजकुमारी पति का नाम भंवरसिंह, पैन कार्ड राजकुमारी राणावत पिता का नाम विजेन्द्रसिह नाम है। मुताबिक दस्तावेज राजकंवर उर्फ राजकुमारी किया जाना उचित होगा, के संबंध मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा मय अभिशंषा रिपोर्ट पेश की।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम राजकंवर दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है जबकि

प्रार्थीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरकारी दस्तावेजों व अन्य सभी दस्तावेजों में राजकुमारी ही दर्ज है जिसको राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित गलत नाम राजकंवर पुत्री विजेन्द्रसिंह के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम राजकुमारी पुत्री विजेन्द्रसिंह दर्ज करवाने का निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली मे संलग्न प्रार्थीया के आधार कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार में प्रार्थीया का नाम राजकुमारी अंकित है तथा राजस्व रिकॉर्ड मे राजकंवर पुत्री विजेन्द्रसिंह अंकित है जिसके संबंध मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा भी नामान्तरकरण खोलते समय प्रार्थीया के नाम राजकंवर होना जाहिर किया जाकर प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाकर राजकंवर पुत्री विजेन्द्रसिंह के स्थान पर राजकंवर उर्फ राजकुमारी पुत्री विजेन्द्रसिंह करने की अभिशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर ग्राम जजावर पटवार मण्डल जजावर के खाता संख्या 659, 660 व 661 में दर्ज ''राजकंवर पुत्री विजेन्द्रसिंह'' के स्थान पर ''राजकंवर उर्फ राजकुमारी पुत्री विजेन्द्रसिंह'' शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ